मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

1- तिलक मार्ग, लखनऊ ।

संख्याः डीजी-सात-एस-1(101)2010 दिनांकः सितम्बर 12, 2012

सेवा में,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

विषयः साइबर क्राइम की विवेचना, साइबर क्राइम यूनिट को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में ।

कृपया मुख्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 26.08.11, 26.12.11 एवं पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के आदेश संख्या-डीजी-सात-एच(13)2009 दिनांक 27.10.2010 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जो साइबर क्राइम, साइबर अटैक एवं साइबर आतंकवाद का सामना करने हेतु प्रदेश में साइबर क्राइम यूनिट की स्थापना किये जाने विषयक है।

2. जनपद में पंजीकृत हुए अपराधों की विवेचनाए, साइबर क्राइम यूनिट को स्थानान्तरित किए जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त करने के लिये मुख्यालय को उपलब्ध कराये जा रहे प्रकरणों का परिशीलन मुख्यालय स्तर पर किये जाने से प्रायः यह देखने में आ रहा है कि अपराधों की गम्भीरता का सूक्ष्म परीक्षण किये बिना ही अनुमोदन हेतु प्रकरण को मुख्यालय को सन्दर्भित कर दिया जाता है।

3. निदेशानुसार भविष्य में आई0टी0 एक्ट (सूचना प्राद्यौगिकी अधिनियम-2000) की धारा **66एफ, 67, 67ए, 67बी** के अन्तर्गत पंजीकृत हुए अपराधों को विवेचना हेतु सम्बन्धित साइबर क्राइम यूनिट से कराये जाने हेतु अनुमोदन के लिए मुख्यालय को प्रेषित किया जाये।

4. कालान्तर में प्रदेश के प्रत्येक जनपद मुख्यालय पर साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, ऐसी दशा में यह भी अपेक्षा की जाती है कि आई0टी0 एक्ट (सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम-2000) के अन्तर्गत पंजीकृत हुए अपराधों की विवेचनाओं के सफलतापूर्वक सम्पादन हेतु जनपद स्तर पर एक कार्यशाला का आयोजन कर जनपद के विवेचकों को समुचित मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें।

12/9/12

(संदीप सालुन्के)
पुलिस महानिरीक्षक(अपराध)
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ :-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार/अपर पुलिस महानिदेशक, सीबीसीआईडी/अपर पुलिस महानिदेशक, ई0ओ0डब्लू, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उ0प्र0।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त पुलिस महानिरीक्षक, जोन्स, उ0प्र0 ।
2. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0 ।
3. प्रभारी साइबर क्राइम यूनिट/पुलिस उप महानिरीक्षक, आगरा परिक्षेत्र।
4. प्रभारी साइबर क्राइम यूनिट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद लखनऊ ।

<u>आदेश</u>

साइबर क्राइम के सम्बन्ध में मेरे पूर्वाधिकारी के आदेश संख्या-डीजी-आठ-एचसी(13)/2009 दिनांकित-27-10-2010 के क्रम में पुलिस महानिरीक्षक(आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन), उ0प्र0 लखनऊ के स्थान पर **पुलिस महानिरीक्षक(अपराध), उ0प्र0 लखनऊ "नोडल अधिकारी"** होंगे।

यह अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध एवं कानून-व्यवस्था), उ0प्र0 के पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे। इस कार्य में इनकी सहायता हेतु अपर पुलिस अधीक्षक(अपराध), उ0प्र0, लखनऊ व उनके अधीनस्थ एक साइबर क्राइम सेल अनुभाग-7 में गठित किया जाता है।

इस सेल में 01 उपनिरीक्षक, 01 मुख्य आरक्षी एवं 02 आरक्षी नियुक्त होंगे एवं इनकी नियुक्ति पुलिस महानिरीक्षक(स्थापना), उ0प्र0, लखनऊ द्वारा तत्काल की जायेगी।

इस सेल के उत्तरदायित्व के निर्वहन हेतु 02 कम्प्यूटर एवं 02 प्रिन्टर पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिदेशक के सहायक, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा तत्काल उपलब्ध कराए जाए तथा इस कार्य के सम्पादन हेतु प्रदेश के अन्य अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने हेतु एक सी0यू0जी0 मोबाइल नम्बर की व्यवस्था अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद द्वारा शासन को उचित प्रस्ताव भेजते हुए तत्काल की जायेगी।

A C Sharma 25.1.13

(ए0सी0 शर्मा)
पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0।

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
1, तिलक मार्ग- लखनऊ ।

<u>पत्र संख्या-डीजी-सात-एस-1-(101)/2010</u> <u>दिनांकः जनवरी 25, 2013</u>

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर पुलिस महानिदेशक(अपराध एवं कानून-व्यवस्था), उ0प्र0 लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक(कार्मिक), उ0प्र0 लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद।
5. पुलिस महानिरीक्षक(अपराध), उ0प्र0 लखनऊ।
6. पुलिस महानिरीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।
7. पुलिस उपमहानिरीक्षक, ए0टी0एस0, उ0प्र0 लखनऊ।
8. स्थायी गार्ड फाइल पर अभिलेखार्थ।

(ए0सी0 शर्मा)
पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0।